Call Attention Notice no. 10: Regarding the defacement of public properties in the State by the Affixation of stickers, bills and posters.

STATEMENT BY URBAN LOCAL BODIES MINISTER

Sir,

The pasting of posters and flexes on public properties/ buildings by private individuals, institution, establishments and others for advertising of their own business is an illegal activity under the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 and the Haryana Municipal Acts.

Further, as per provisions of the Haryana Municipal Act 1973 and the Haryana Municipal Corporation Act 1994, any advertisement within the municipal limit is prohibited without the prior permission of the municipal authority i.e., the Commissioner in case of Municipal Corporation and the Executive Officer/ Secretary in case of Municipal Council/ Committee.

In addition to the above, the Government for the purpose of regulating and allowing legal way of advertisements within municipal areas has notified the Haryana Municipal Advertisement Byelaws, 2022 on 15.07.2022.

Under these byelaws, the advertisement on properties of Government entities/ agencies can only be permitted through Open E-auction for which an online portal has also been launched on 11.10.2022. As per byelaw no. 22, the unauthorized advertisements are also punishable under the provisions of the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989. The relevant provisions are reproduced below for ready reference:

- (8) The entire list of authorized Outdoor Media Device (OMDs) shall be displayed, without ownership display, for scrutiny by public at large and various entities like companies, agencies, brands to identify and ensure that the advertisement being released by them is being mounted only on authorized OMDs. Failure to comply with above requirement shall be punishable under the Haryana Prevention of Defacement of the Property Act, 1989 (11 of 1990).
- (9) Any unauthorized outdoor advertisement shall be removed promptly by the municipality and shall be immediately disposed-off on as-is where-is basis.
- (10) The municipality shall issue notice to concern individual/ owner for installing unauthorized OMDs as per provisions of the Haryana Prevention of Defacement of the Property Act, 1989 (11 of 1990) and take action of removing the unauthorized OMD and penalizing the individual/ owner.

Further, under the byelaw no. 27, provisions for heavy penalty (three times the applicable permission fees on monthly basis) have been made along with provision to blacklist/ deregister the advertising agencies and property owners for three years. The relevant provisions are reproduced below:

- (2) Whosoever contravenes any provision of these bye-laws, shall also be liable, without prejudice to any other action that may be taken by the municipality to remove such contravention and to pay unauthorized charges for such contravention at a rate equal to three times the applicable fee/ charges (as quarterly rates of the concerned OMD) on the date of commencement of such contravention for the period of such contravention or a quarter, whichever is more.
- (4) The registered entity or listed owner (for self-advertisement only) which has displayed the unauthorized media shall also be liable to be deregistered or delisted by the municipality:
- (7) A registered entity or listed owner (for self-advertisement only), once deregistered or delisted under bye-law 27 (3) or (4) above, shall not be permitted to register or listed for a period of three years from the date of deregistration.

Under the above Acts and Byelaws, municipalities are competent for taking action against such illegal pasting of posters and flexes on Government buildings/ properties.

The municipalities in the State are taking regular action against such illegal stickers/bills/ posters and flexes on public properties and illegal advertisements by way of their removal and penalizing the violators via enforcement drives undertaken from time to time. As per action taken reports received from the municipalities, total 1915 notices have been issued to violators and total 3022 enforcement drives have been conducted. In these drives total 108334 poster/ bills/ stickers/ advertisements/ flexes have been removed in last two financial years i.e., 2023-24 and 2024-25, under the provisions of the Haryana Municipal Act 1973, the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989.

As stated above the Haryana Municipal Advertisement Byelaws, 2022 also provides a mechanism to allow legal advertisements in the municipalities for generating revenue, via an open auction based online system. Till date, through this system, total 624 public sites have been auctioned for Rs. 133.22 crores and total 3871 permissions on private properties for Rs. 141.14 crores have been granted.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 10: राज्य में सार्वजनिक संपत्तियों पर स्टिकर, बिल और पोस्टर चिपकाकर उन्हें विकृत करने के संबंध में।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री का वक्तव्य

श्रीमान,

निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों और अन्य लोगों द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजिनक संपत्तियों/ भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार, नगरपालिका प्राधिकारी अर्थात नगर निगम के मामले में आयुक्त और नगर परिषद/समिति के मामले में कार्यकारी अधिकारी/सचिव की पूर्व अनुमित के बिना नगरपालिका सीमा के भीतर विज्ञापन करना प्रतिबंधित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में विज्ञापनों के कानूनी तरीके को विनियमित करने और अनुमित देने के उद्देश्य से 15.07.2022 को हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम, 2022 अधिसूचित किया है।

इन उपनियमों के तहत सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों की संपत्तियों पर विज्ञापन की अनुमित केवल खुली ई-नीलामी के माध्यम से दी जा सकती है, जिसके लिए 11.10.2022 को एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उपनियम 22 के अनुसार, अनिधकृत विज्ञापन हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत भी दंडनीय हैं। इस संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- (8) प्राधिकृत आउटडोर मीडिया डिवाइस (ओ.एम.डी) की सम्पूर्ण सूची, व्यापक तौर पर जनसाधारण तथा विभिन्न अभिकरणों जैसे कि कम्पनियों, अभिकरणों द्वारा संवीक्षा के लिए स्वामित्व के प्रदर्शन के बिना प्रदर्शित की जाएगी, ब्रांडों की पहचान तथा सुनिष्चित करने हेतु कि उन द्वारा जारी किए जा रहे विज्ञापन केवल प्राधिकृत ओ.एम.डी पर लगाए जा रहे है। उपरोक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफलता हरियाणा सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दण्डनीय होगी तथा अप्राधिकृत ओ.एम.डी को हटाने की कार्रवाई करने तथा व्यक्ति/स्वामी को दण्डित करेगी।
- (9) कोई अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापन, नगरपालिका द्वारा शीघ्रता से हटाया जाएगा तथा उसका जैसा है जहां है के आधार पर तुरन्त निपटान किया जाएगा।
- (10) नगरपालिका, हरियाणा सम्पति विरूपण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के उपबन्धों के अनुसार अप्राधिकृत ओ.एम.डी स्थापित करने के लिए संबंधित व्यक्ति/स्वामी को नोटिस जारी करेगी तथा अप्राधिकृत ओ.एम.डी को हटाने के लिए तथा व्यक्ति/स्वामी को दण्डित करने के लिए कार्रवाई करेगी।

इसके अलावा, उपनियम 27 के तहत भारी जुर्माने (मासिक आधार पर लागू अनुमित शुल्क का तीन गुना) के प्रावधान किए गए हैं, साथ ही विज्ञापन एजेंसियों और संपत्ति मालिकों को तीन साल के लिए काली सूची में डालने/पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। इस बारे प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

(2) जो कोई भी इन उप-विधियों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि नगरपालिका द्वारा ऐसी उल्लंघन को हटाने के लिए की जा सकती है तथा ऐसे उल्लंघन की अविध या त्रेमासिक, जो भी अधिक हो, ऐसे उल्लंघन के प्रारम्भ की तिथि से लागू अनुज्ञा फीस के तीन गुणा की समकक्ष दर पर ऐसे उल्लंघन के लिए अनिधकृत प्रभार का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

- (4) किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन के लिए) जो अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित करता है नगरपालिका द्वारा अंपजीकृत या असूचीबद्ध किए जाने के लिए भी दायी होगा।
- (7) किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध स्वामी (केवल स्वतः विज्ञापन हेतु) उपरोक्त उपविधि 27(3) या (4) के अधीन एक बार अपंजीकृत को या असूचीबद्ध किया जाता है, तो विपंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष की अविध के लिए रजिस्टर या सूचीबद्ध करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त अधिनियमों और उपनियमों के तहत, नगरपालिकाएं सरकारी भवनों/संपत्तियों पर पोस्टर और फ्लेक्स अवैध रूप से चिपकाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

राज्य में नगर पालिकाओं द्वारा सार्वजिनक संपत्तियों पर ऐसे अवैध स्टिकर/ बिल/ पोस्टर और फ्लेक्स तथा अवैध विज्ञापनों के खिलाफ समय- समय पर प्रवर्तन अभियान के माध्यम से इन्हें हटाने तथा उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की नियमित कार्रवाई की जा रही हैं। पिछले दो वित्तीय वर्षों यानी 2023-24 और 2024-25 में नगर पालिकाओं से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं को कुल 1915 नोटिस जारी किए गए हैं तथा कुल 3022 प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। जिनमें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कुल 108334 पोस्टर/ बिल/ स्टिकर/ विज्ञापन/ फ्लेक्स हटाए गए हैं।

जैसा कि उपरोक्त में सूचित किया गया है, हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम, 2022 खुली नीलामी आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए नगरपालिकाओं में वैध विज्ञापनों की अनुमित देने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। अब तक, इस प्रणाली के माध्यम से कुल 624 सार्वजनिक साइटों की नीलामी 133.22 करोड़ रुपये में की गई है तथा निजी सम्पत्तियों पर 141.14 करोड़ रुपये की कुल 3871 अनुमितयां प्रदान की गई हैं।